ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-1 No. 3 January–December 2020

औरंगजेबकालीन गाँवों के सरहदी विवाद के मुकदमे का दस्तावेज : एक विवेचना

डा0 राजीव कुमार श्रीवास्तव
सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग
सामाजिक विज्ञान संकाय
काषी हिन्दू विष्वविद्यालय
वाराणसी

मुगलिया बादषाह औरंगजेब ने अपनी हुकुमत के दौरान यह चर्चा–ए–आम किया कि उसके हुकुमत में सबके लिए न्याय है। उसके जमाने के दस्तावेज का मुआइना करने पर यह साफ हो जाता है कि किसी भी तरह का तकरार हो या जमीनी विवाद उसका मुकदमा सरकार के कचहरी में चलाया जाता था और उस पर पूरी तरह से इंसाफ किया जाता था। सूबा इलाहाबाद के गाजीपुर के मौजा दीनदार नगर व मौजा बहुअरा के बीच सरहद के विवाद को लेकर सरकार गाजीपुर के काजी के समक्ष मुकदमा पेष किया गया। काजी की अदालत के अन्य कर्मचारियों में पेषकार, कातिव, अमीन, नाजिर, दफ्तरी, मुचलका, नवीस, मिर्दहा इत्यादि प्रमुख हैं।[1] इस मुकदमें में दोनों पक्षों ने यह आरोप लगाया कि सरहद का बंटवारा सही ढंग से नहीं किया गया, जिसकी वजह से दोनों गांव के बीच विवाद बना हुआ है, इसलिए इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा किया जाय। सरकार गाजीपुर के अदालती दस्तावेज में मुहर के साथ यह शपथ पत्र गवाहान के साथ दिया गया है।

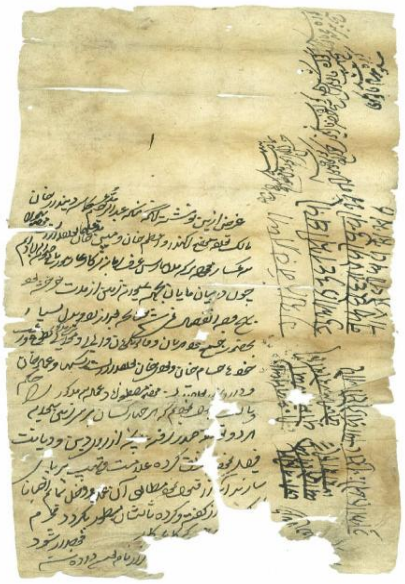

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार 'पुरावषेषों और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 14' के अन्तर्गत पंजीकृत दस्तावेज–
SNT/ANT/75/2019-20 (मूल दस्तावेज 1.1)[2]

इस दस्तावेज में दर्ज है ''इस नविष्ता का गरज यह है कि मैं कि अब्दुर्रहीम जो मुद्दई है और गुमाष्ता दीनदार खाँ मालिक ताल्लुका मौजा अखंधा है और आजम खाँ व

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-1 No. 3 January–December 2020

मोबिन खाँ मुछालयहुमा ताल्लुकादारान मौजा बहुअरा टप्पा कमसार मामला परगना मदन बनारस उर्फ जमानियाँ सरकार गाजीपुर ताबे सूबा इलाहाबाद के हम दोनो हैं। बात यह है कि हमारे दरमियान सिवाना जमीन को लेकर एक मुद्दत से झगड़ा चल रहा था। फैसला की कोई सूरत नहीं दिखायी दी, चुनान्चे बाद बहुत रद्दोबदल के हिसाम खाँ व लोदी खाँ ताल्लुकेदारान और एमाद खाँ व दाराब खाँ ताल्लुकेदारान मुस्तफाबाद अमल मजकुरान को सब चौधरियों, कानूनगोयों और अहाली और मवाली की मौजूदगी इन चारों को पंच बनाया, एकरार किया कि हम सभी चारों सिवाना की जमीन पर जाकर जो कुछ दीन और दयानात के मुताबिक होगा, फैसला करेंगे और पत्थर नसब करके सरहद सिवाना कायम करेंगे। यह बात हमें कबूल है इस अमल और दखल के मुताबिक हमें इन पंचों का कहा और किया हुआ मंजूर है। यह काम फौजदार की मौजूदगी में हुआ।'' सरकार के शासन का मुख्य प्रषासक फौजदार कहलाता था।[3]

यह तहरीर मुद्दई अब्दुर्रहीम द्वारा दिया गया, इस तहरीर पर कुछ गवाहों के नाम दर्ज हैं, जिसमें शेख पीर मुहम्मद कानूनगो, शेख हैबत कानूनगो, षिवपरसाद कानूनगो, जोखराज कानूनगो, शेख खिजिर कानूनगो के नाम के हस्ताक्षर हैं। ये सभी नाम सरकार गाजीपुर के कानूनगोयों के हैं। जो सरहदी विवाद को खत्म करने के लिए जमीन की पैमाइष आदि में मदद करते थे।

यह दस्तावेज 1113 हिजरी का है अर्थात् 19 जनवरी 1702 से 07 जनवरी 1703 के बीच है। इस दस्तावेज को फारसी में लिखा गया है। फारसी में कानूनगोवों के हस्ताक्षर हैं या नाम दर्ज हैं। साथ ही कैथी भाषा में भी कुछ गवाहों के नाम हिन्दी में दर्ज है। गवाहों में हिन्दू और मुसलमान दोनो हैं। गुआह नेवज खां, रूदर सिंह, नकछेद राय व बुची राय, चौधरी, रसूल खां व जैसी राय आदि के नाम हैं। औरंगजेब के जमाने में सूबा इलाहाबाद के शाही कचहरी सरकार गाजीपुर के गांवों का झगड़ा भले ही मुकदमें तक पहुंचा हो लेकिन मूल दस्तावेज को देखने से यह पता चलता है कि झगड़ा हिन्दू और मुसलमान के बीच नहीं था। बल्कि जमीन के दावेदारों के बीच था, जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों गवाह थे। औरंगजेब कालीन सरकारी राजस्व कर्मचारी कानूनगों हिन्दू भी थे। इसी दस्तावेज में कानूनगो षिव परसाद और कानूनगो जोखराज का नाम दर्ज है। स्थानीय स्तर पर जमीन के मामलात को सुलझाने के लिये कानूनगो की मदद ली जाती थी और इस पद पर नियुक्ति में हिन्दू और मुसलमान का कोई भेद नहीं था।

दीनदारनगर और बहुअरा के सरहदी को लेकर जो तहरीर दी गयी थी उस पर मुहर के साथ 27 सफर 1113 हिजरी को काजी खुदाबख्स खादिम शरा व हकीकुल्लाह मुफ्ती शरा की मौजूदगी में फैसला किया गया। जिसका मजमून यह है कि ''यह जिक्र है बयान में उस चीज के कि वतारीख 14 महिना सफर जिसे अल्लाह खैरियत से गुजारे और कामियाबी अता करे कि सन 1113 हिजरी नाम अब्दुर्रहीम मुद्दई वकील वकालत साबिता के साथ जो मु0 दीनदार मालिक ताल्लुका दीनदारनगर उर्फ अखन्धा की तरफ से है और

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-1 No. 3 January–December 2020

नाम आजम व मुद्दई अलैहा (इन दोनों पर दावा किया गया है) यह जमींदार है। मौजा बहुअरा ताल्लुका कमसार के अमला परगना जमानियां सरकार (जिला) शाही कचहरी गाजीपुर ताल्लुके सूबा इलाहाबाद झगड़ा इस बात पर है कि सीवाना जमीन मौजा दीनदारनगर व मौजा बहुअरा का तनाजा रखते हैं। इस मानी पर अब्दुर्रहीम और आजम व मअन मस्तूरैन दोनों ने अपनी रगबत और रजामन्दी से परगना उपरोक्त के चौधरियों और कानूनगोयों के राय मषवरा से होषाम और लोदी जमीदारान ताल्लुका रकसहा और एमाद व दाराब जमीदारान मुस्तफाबाद अमला परगना उपरोक्त को हुक्म (फैसला करने वाला) मंजूर किया कि यह फैसला करने वाले दयानात और इंसाफ से फरीकैन की जमीन के सीवाना का जो फैसला करेंगे हम लोगों को कबूल और मंजूर है, इस वजह से उपरोक्त फैसला करने वाले विवादित जमीन पर जाकर फरीकैन के सामने हाजिरूल वक्त जमाअत की मौजूदगी में फैसला करेंगे और उत्तरी सरहद पर चन्द जगह निषान मुकर्रर करके दुरूस्त कर देंगे इसलिये कि फरीकैन के मामिला की सुलह सफाई और मामिला को हल करने के लिये फरीकैन खुद अपना अमल दखल कायम करेंगे और आपस में तकरार नहीं करेंगे। यह चन्द कलमात फरीकैन के एकरार के बमूजिब उपरोक्त फैसले की खबर देने के मुताबिक लिखा गया इसलिये कि वक्त जरूरत पर सबूत होगा। तहरीर तारीख 27 सफर सन् 1113 हिजरी। सरकार का मुख्य न्यायाधिकारी काजी–ए–सरकार था। उत्तराधिकार, विवाह, तलाक इत्यादि मुकदमे काजी की अदालत में जाते थे।[4]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार 'पुरावषेषों और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 14' के अन्तर्गत पंजीकृत दस्तावेज– SNT/ANT/72/2019-20 (मूल दस्तावेज 1.2)[5]

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-1 No. 3 January–December 2020

इस दस्तावेज पर शाही कचहरी के काजी[6] और मुफ्ती[7] की मुहर लगायी गयी है, जिससे साफ पता चलता है कि फैसला काजी और मुफ्ती के द्वारा शरीयत की रोषनी में किया गया है। यह भी बात स्पष्ट हो गयी कि मुगल दौर में शरीयत के हिसाब से ही फैसला किया जाता था। शाही कचहरी में पेष होने वाले मुकदमे के साथ न्याय हो इस पर काजी का पूरा ध्यान होता था। फैसले की प्रति पर बाकायदा मुहर के साथ गवाहों के नाम भी अंकित होते थे। काजी के हुक्म से फैसले की अवहेलना न हो इसलिये उस क्षेत्र के कानूनगो का भी नाम लिखकर जिम्मेदारी तय कर दी जाती थी ताकि किसी प्रकार की जमीनी दस्तावेज में हेर फेर होने पर कानूनगो भी जिम्मेदार हों और उन्हें दण्ड मिले।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार 'पुरावषेषों और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 14' के अन्तर्गत पंजीकृत दस्तावेज– SNT/ANT/76/2019-20 (मूल दस्तावेज 1.3)[8]

इस दस्तावेज में यह जिक्र है उस मामिला के बयान में कि बतारीख 14 माह सफर सन् 1113 हिजरी अल्लाह उसे पूरा करे खैरियत और मेहरबानी के साथ नाम अब्दुर्रहीम मुद्दई मिनजानिब गुमाष्ता रिफअत माआन मु0 दीनदार मालिक ताल्लुका दीनदारनगर उर्फ अखंधा और नाम आजम व मोबीन मुछालैह जमींदारान मौजा बहुवरा अमला परगना मदन बनारस उर्फ जमानियां सरकार गाजीपुर ताल्लुक (मुजाफ) सूबा इलाहाबाद कि मौजा दीनदारनगर और मौजा बहुअरा की जमीन के सीवाना (सरहद) का तनाजा था इस मसला को लेकर कि अब्दुर्रहीम और आजम व मोबीन उपरोक्तगण अपनी रगबत और रजामन्दी से और परगना जमानियां के चौधरियों और कानूनगोयों की सवाबदीद (सलाह) और राय से

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-1 No. 3 January–December 2020

हेसाम खां और लोदी खां जमीदारान ताल्लुका रकसहा और एमाद खां व दुराब खां जमीदारान ताल्लुका मुस्तफाबाद (कूसी) अमला परगना जमानियां को इस तनाजा का हकम (जज) बनाया गया इसलिए कि जो कुछ यह हकम लोग सीवाना की जमीन का फैसला करेंगे हम लोगों को मंजूर होगा इसलिए यह हकम लोगों ने चौधरियों और कानूनगोयों के साथ मोतनाजा जमीन सीवाना पर जाकर यह चाहा कि सीवाना का फैसला कर दें और सरहद दुरूस्त करके संग (पत्थर) नसब (गाड़) कर दें। इस जिसमें आजम खां व मतीन खां जमीदारान मौजा बहुवरा उपरोक्त ने दोनों फैसला करने वालों के फैसला को मानने से इंकार कर दिया और वह राजीनामा जिसे इन लोगों ने अपने दस्तखत और चौधरियों और कानूनगोयों की गवाही के साथ लिखकर दिया था उस के करार से फिर गये इस वजह से अब्दुर्रहीद मुद्दई उपरोक्त शरा शरीयत में इस्तगासा दायर किया कि मुसम्मी आजम खां व मोबीन खां जमींदारान मौजा बहुवरा उपरोक्त ने हकमैन के फैसला से बर खेलाफ किया है इस इस्तगासा के वमूजिब आजम खां व मोबीन खां को तलब किया गया हाजिर नहीं हुए। शरा शरीफ के हुक्म को नहीं माना जो शख्स भी इस असली सूरत हाल से और सही बात से वाकिफ होगा वह अल्लाह को सामने रखकर जरूर गवाही देगा और अल्लाह के पास अज्र पायेगा और लोगों के नजदीक मषकूर होगा इस बिना पर यह चन्द कलमात बतरीक सूरत मजलिस लिख दिया गया कि इन्दल हाजत काम आये। तहरीर तारीख 14 सफर सन् 1113 हिजरी।

काजी और गवाहों के सामने अल्लाह की शपथ लेने के बावजूद एक पक्ष ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। काजी की अदालत ने आजम खां व मोबीन खां को तलब किया लेकिन वे हाजिर नहीं हुये। उनका हाजिर न होना झगड़े को बढ़ाने का ही संकेत है। जमीनी विवाद में यह अक्सर देखने में आता है कि एक पक्ष विवाद का हल चाहता ही नहीं। दस्तावेज में अल्लाह की दुहाई दी गयी है ताकि कोई भी पक्ष झूठ न बोलने पाये। करारनामे में गवाहों के भी हस्ताक्षर होते थे ताकि कोई भी पक्ष मुकरने न पावे। इस दस्तावेज में गवाह चौधरी रसूल खां, नवाज खां, रूदर सिंह, नकछेद राय, बुचीसेनी राय, फिदाई खां, मोबारक खां, गाजी खां, शेख बबर मोहम्मद कानूनगो, शेख खिजिर कानूनगो, शेख हैबद कानूनगो आदि के हस्ताक्षर मौजूद हैं। बावजूद इसके लोग अपने बयान से मुकर जाते थे। इन दस्तावेजों के अध्ययन से मुगलकालीन गांवों के सरहदी विवाद की जानकारी मिलती है और काजी द्वारा इसके फैसले करने के तरीके का पता चलता है। 1.1 दस्तावेज में फौजदार के सामने करार होने का जिक्र है। इसका अर्थ है कि गांव के सरहद का विवाद इतना बढ़ गया था कि वह मुकदमा दीवानी से फौजदारी तक पहुंच गया था। फौजदारों के लिये हुक्म था कि जिन थानेदारों को तुम अपने अधीन नियुक्त करो, उनसे कहो कि वे अपने–अपने क्षेत्रों का पूरा–पूरा अधिकार लें, लोगों को उनकी जायज सम्पत्ति से बेदखल न करें और वर्जित करो (अबवाबों) को उनसे वसूल न करें।[9] जिले के देहाती इलाके में सुरक्षा व्यवस्था, चोरों, डकैतों तथा अन्य समाज विरोधी एवं उपद्रवी लोगों का दमन, मार्ग की सुरक्षा, यात्रियों, व्यापारियों की रक्षा इत्यादि का उत्तरदायित्व उसके ऊपर

Copyright © 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-1 No. 3 January–December 2020

था। इस कार्य के लिये योग्य सहायक अधिकारियों को महत्वपूर्ण देहाती इलाकों में नियुक्त करता था एवं उनके अधीन आवष्यकतानुसार सैनिक निर्धारित कर देता था।[10]

सन्दर्भ सूची–

1. मुहम्मद बषीर अहमद, दि एडमिनिस्ट्रेषन ऑफ जस्टिस, पृ0 156–58।
2. मूल दस्तावेज (1.1)।
3. हरिषंकर श्रीवास्तव, मुगल षासन प्रणाली, पृ0 136।
4. पी0 शरण, प्राविंषियल गवर्नमेन्ट ऑफ मुगल्स्, पृ0 353–54।
5. मूल दस्तावेज (1.2)।
6. औरंगजेब के काल में नियुक्ति के समय काजी को दिये गये निर्देष में कहा गया है ''न्यायी, ईमानदार तथा निष्पक्ष रहो। कचहरी में दोनों पक्षों की उपस्थिति में मुकदमों की सुनवाई करो। जहां तुम कार्यरत हो वहां के लोगों से न कोई उपहार लो, न हर एक के द्वारा किये गये मनोरंजन या स्वागत समारोहों में भाग लो। फक्र (फकीरी) ही तुम्हारा फक्र (गौरव) है।'' मुहम्मद वषीर अहमद, दि एडमिनिस्ट्रेषन ऑफ जस्टिस, पृ0 155।
7. काजी की सहायता के लिये मुफ्ती, मुहतासिब, दरोगा–ए–अदालत, मीर अदल पंडित तथा वाकिया निगार नियुक्त रहते थे। डा0 हरिषंकर श्रीवास्तव, मुगलषासन प्रणाली, पृ0 249।
8. मूल दस्तावेज (1.3)।
9. जदुनाथ सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेषन, पृ0 64–65।
10. आषीर्वादी लाल श्रीवास्तव, अकबर दि ग्रेट, भाग–2, पृ0 131–32।

Copyright © 2020 Authors